

कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- न-5(4)पु.फो./कानि.भर्ती/11/5171


दिनांक:- 01.10.2012

कान्स्टेबल सामान्य एवं चालक भर्ती 2012 की विज्ञप्ति में स्पष्टीकरण

पुलिस विभाग में 10,000 कान्स्टेबल सामान्य एवं चालक के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति संख्या 5152 दिनांक 28.09.2012 जारी की गई है। विज्ञप्ति के बिन्दू संख्या-8 (iv) में यह भी अंकित किया जाता है कि कान्स्टेबल चालक की आयु की गणना 01 जनवरी, 2013 को आधार मानकर निम्नानुसार की जावेगी:-


वर्ग (category)	कान्स्टेबल		चालक	
	निम्न तिथि के बाद का जन्म नहीं हो (न्यूनतम आयु तिथि)		निम्न तिथि से पहले का जन्म नहीं हो (अधिकतम आयु तिथि)	
	पुरुष/महिला		पुरुष	महिला
सामान्य	1.1.1995		2.1.87	2.1.82
एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./एसबीसी वर्ग	1.1.1995		2.1.82	2.1.77
कर्तव्य निर्वहन में मृत पुलिसकर्मी के आश्रित एवं राज्य कर्मचारी	1.1.1995		2.1.84	2.1.79
भूतपूर्व सैनिक	1.1.1995		2.1.71	2.1.71

कान्स्टेबल सामान्य ड्यूटी की आयु गणना विज्ञप्ति में प्रकाशित तिथि अनुसार रहेगी।


 1.10.2012
 महानिरीक्षक पुलिस
 मुख्यालय,
 राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/गृहरक्षा एवं नागरिक सुरक्षा/कारागार, राज. जयपुर।
- 2 समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
- 3 पुलिस आयुक्त जयपुर/ जोधपुर।
- 4 समस्त महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक पुलिस राजस्थान।
- 5 उपायुक्त पुलिस, मुख्यालय जयपुर/जोधपुर।
- 6 समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान मय जीआरपी अजमेर/जोधपुर।
- 7 समस्त कमाण्डेन्ट, आर.ए.सी. बटालियन मय आई.आर. मय एम.बी.सी. बटालियन।
- 8 समस्त कमाण्डेन्ट, पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र राजस्थान/पुलिस मोटर ड्राइविंग स्कूल बीकानेर।
- 9 उप शासन सचिव, गृह (गुप-1) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 10 निदेशक समाज कल्याण/नियोजन/सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 11 सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड, राजस्थान, जयपुर।
- 12 प्रभारी, राजस्थान पुलिस वेबसाइट सैल को प्रेषित कर निर्देश है कि उक्त स्पष्टीकरण को तत्काल राजस्थान पुलिस वेबसाइट पर उपलब्ध करावें।


 1.10.2012
 महानिरीक्षक पुलिस
 मुख्यालय,
 राजस्थान, जयपुर।